



राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग,
महात्मा गांधी नरेगा (ग्रुप-3), सचिवालय, जयपुर
(Phone : 0141-2227956, 2227170 E-mail: pdre_rdd@yahoo.com)



क्रमांक: एफ 40(25)ग्रावि/नरेगा/NGO/पार्ट-3/2020/RK-00001 जयपुर दिनांक: 09 OCT 2020

जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं
जिला कलक्टर, समस्त (राजस्थान)।

विषय :- एन.जी.ओ. को महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत अनुमत गतिविधियों हेतु कार्यकारी एजेन्सी बनाने बाबत।

प्रसंग :- विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 13.04.2010, 12.10.2010, 21.12.2010, 10.06.2011 एवं 01.10.2014 (विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध)।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र दिनांक 13.04.2010 द्वारा एन.जी.ओ. को महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत अनुमत गतिविधियों हेतु कार्यकारी एजेन्सी बनाने सम्बन्धी दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं, जिनमें अन्य समसंख्यक पत्रों द्वारा आवश्यक संशोधन किये गये। इन निर्देशों की समीक्षा करने पर पाया गया कि वर्तमान में महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत स्वयं सेवी संस्थाएं बहुत कम संख्या में कार्यकारी एजेन्सी के रूप में कार्य कर रही हैं।

महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम, 2005 की धारा-2(जी) एवं ऑपरेशनल गाइड-लाईन, 2008 के पैरा-6.3.2 के अनुसार महात्मा गांधी नरेगा कार्यों की क्रियान्वयन एजेन्सी भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा अधिकृत, प्रतिष्ठित, स्थापित साख, कार्य प्रदर्शन एवं अच्छे रिकॉर्ड वाले एनजीओ भी हो सकते हैं। कृपया जिला स्तर पर इस सम्बन्ध में समीक्षा करावें तथा प्रासंगिक पत्रों में उल्लेखित प्रक्रिया अपनाकर अच्छी साख एवं दक्षता वाले अनुभवी एनजीओ का चयन कर योजना के क्रियान्वयन में उनकी भागीदारी बढ़ावें ताकि योजना के बेहतर क्रियान्वयन में एनजीओ के अनुभव का लाभ मिले तथा विकास कार्यों की गतिविधियों में उत्तरोत्तर गुणवत्ता एवं नवाचार को बढ़ावा मिले।

भवदीय

(रोहित कुमार सिंह)

अतिरिक्त मुख्य सचिव,

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं परावि, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, ईजीएस।
3. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त।
4. अधिशाषी अभियंता, ईजीएस, जिला परिषद, समस्त।

परि.निदे. एवं ससुक्त सचिव, ईजीएस